

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 396] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 18, 1979/अग्रहायण 27, 1901
No. 396] NEW DELHI, TUESDAY, DEC. 18, 1979/AGRAHAYANA 27, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 702(अ).—केंद्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के उपखण्ड 1 के अनुसरण में, भारत सरकार के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 202-सीमा-शुल्क [सा. का. नि. सं. 561 (अ.)], तारीख 1 अक्टूबर, 1979 में, निम्नलिखित और संशोधन करती हैं, अर्थात् उक्त

अभिसूचना के नीचे की अनुसूची में क्रम सं. 5 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नीलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
5	डेनमार्क के क्रेनर	65.30

[सं. 240-सीमा-शुल्क/फा. सं. 503/6/79-सी.शु.-6]

ए. बॉर्डिया, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 703(E).—In pursuance of sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of Section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India Ministry of Finance, Department of Revenue No. 202-CUS. [G.S.R. No. 561(E)], dated the 1st October, 1979, namely :—

In the Schedule below the said notification,—

For Serial No. 5 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)
5	Danish Kriners	65.30

A. BORDIA, Under Secy.

[No. 240-CUS/F. No. 503/679-CUS. VI]